

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

27- ज्वालापुर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि-

ई0 रवि बहादुर निवासी पुल जटवाड़ा, हरिजन बस्ती, ज्वालापुर तहसील/जिला हरिद्वार जो इंडियन नेशनल कांग्रेस (मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गए/की गई।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई हैं।

स्थान- हरिद्वार।

तारीख- 10.03.2022

हस्ताक्षर.....

रिटर्निंग आफिसर

Returning Officer  
27-Jwalapur (S.C.) Assembly Constituency



## **Conduct of Elections Rules, 1961**

(Statutory Rules And Order)

FORM 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

\*Election to the Legislative Assembly of **Uttarakhand** from **27-Jwalapur (SC)** Assembly constituency.


In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

**Er. Ravi Bahadur**

**pul jatwara harijan basti jwalapur tehsil and district haridwar** [sponsored by **Indian National Congress** ] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place :

Date : 10-03-2022

  
(Shri Gopal Ram)  
Returning Officer  
027-Jwalapur(SC)  
Legislative Assembly Constituency

Returning Officer  
27-Jwalapur (S.C.) Assembly Constituency